

प्रारूप-2

(नियम 8 क का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/ 11 /2012

दिनांक:- 1-10-12

संस्था सचिव

सेन्ट एन्सलन्स

तेजा का बास. झुलेरा

साँवर लोक. जयपुर

विषय:- नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 24.02.12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं सेन्ट एन्सलन्स
(विद्यालय का नाम और पता) तेजा का बास. झुलेरा साँवर लोक. जयपुर
को 01.04.12 से — तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा L.K.G से 5 तक के लिए
अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

- (i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;
- (ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;
- (iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;
- (v) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;
- (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र

- कक्षा के कमरों की संख्या
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
 - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर
 - पीने के पानी की सुविधा
 - भिड़-डे मील पकाने के लिए रसोई
 - अवरोध मुक्त पहुंच
 - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
 10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
 11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
 13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/JPR/2012-13/.....0015.....) हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
 15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
 17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

Shamsh

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2013 को बैठक का

कार्यवाही विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2013 को बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न लिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. गोविन्द कुमार शर्मा, शासन उप सचिव, प्रथम, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. लक्ष्मी बेलवानी, सहायक शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग।
3. डॉ० सतीश कुमार, विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
4. विजयशंकर आचार्य, निदेशालय, बीकानेर।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से 04 प्रस्ताव प्राप्त हुये। प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा परीक्षण किया गया, सही पाये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में निदेशालय से प्राप्त 04 संस्थाओं को सीबीएसई/सीआईएससीई, नई दिल्ली से सम्बद्धता दिये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सत्र	माध्यम	बोर्ड सम्बद्धता हैं।	जिससे चाहते
1	सेन्ट एन्सलम्स स्कूल, तेजा का वास फुलेरा, जयपुर	2013-14	अंग्रेजी	CBSE	
2	शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल, तारानगर चूरु	2013-14	अंग्रेजी	CBSE	
3	पल्लव उप्रावि, मुण्डेरी, झालावाड	2013-14	अंग्रेजी	CBSE	
4	एन.बी.एफ. पब्लिक स्कूल, गणेश नगर निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर	2013-14	अंग्रेजी	CBSE	

वर्ष 2013-14 में गैर राजकीय संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख लिखे गये माध्यम एवं बोर्ड हेतु अनापत्ति प्रमाण, पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 14 (8) शिक्षा-1/2009 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक : 5.7.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मान0 शिक्षा मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
4. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0, बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2013-14 में उक्त 04 संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आदेश जारी कर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

(गोविन्द कुमार शर्मा)
उप शासन सचिव, प्रथम

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय -आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग के पत्र क्रमांक प 9(2) शिक्षा-5/2010 पार्ट दिनांक 12.01.12, एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/19626/मूल मान्यता/2011-12/ दिनांक 13.01.12 की अनुपालना में इस कार्यालय के द्वारा निम्नांकित संस्थाओं को (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन -पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्र 2012-13 से कक्षा 5 संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 9(2) शिक्षा-5/2005 पार्ट / जयपुर दिनांक 13.09.12 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/12-13 /34 दिनांक 18.09.12 की अनुपालना में संस्था द्वारा अतिरिक्त मान्यता शुल्क रु. 15000/- जमा करवाये जाने पर सत्र 2012-13 से कक्षा 5 के साथ-साथ कक्षा 6, 7 व 8 भी संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर हिन्दी अंग्रेजी	अतिरिक्त मान्यता शुल्क डी डी संख्या / दिनांक	बैंक का नाम	राशि
1	मेहाई प0 स्कूल निमेडा विनायक सिटी, झोटवाडा, जयपुर	अंग्रेजी	000529 / 13.12.12	Central Bank	15000
2	देव किरण प0 स्कूल ए10 गणेशनगर 8 गणेशनगर मेन के पास निवारु रोड, जयपुर	अंग्रेजी	2510145 / 14.12.12	Bank of Baroda	15000
3	ब्लैस किड्स पैराडाईज ई 23-24, बालाजी विहार 27 माचडा, जयपुर	अंग्रेजी	002857 / 19.10.12	Bank of India	15000
4	सेन्ट एन्सलन्स स्कूल, तेजा का वास फुलेरा प0स0 साभरलेक, जयपुर	अंग्रेजी	421577 / 12.12.12	U.Co. Bank	15000
5	डिस्कवरी इन्टरनेशनल स्कूल, किरा रोड, त0 कोटपूतली, जयपुर	अंग्रेजी	000958 / 18.12.12	IDBI Bank	15000
6	अरिहन्त पब्लिक स्कूल, 253ए शान्तीनगर हटवाडा रोड, जयपुर	अंग्रेजी	909842 / 12.12.12	S.B.I	15000
7	लिटिल प्रिंस एकेडमी बागावास चौरासी, वाया, भाबरु, जयपुर	अंग्रेजी	042478 / 24.12.12	Bank of Baroda	15000
8	सन साईन एकेडमी स्कूल, 332 बद्रीनाथ कालोनी सागर रोड, जयपुर	अंग्रेजी	400562 / 18.10.12	S.B.B.J	15000
9	टायलर्स डेन स्कूल, 7/255, विद्याधरनगर जयपुर	अंग्रेजी	250602 / 18.12.12	Bank of Baroda	15000
10	संस्कृति पब्लिक स्कूल, 97 चांद बिहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर	अंग्रेजी	000627 / 23.10.12	Bank of India	15000

Handwritten Signature
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक जिशिअ/जय/प्राशि/सा-5/फा- /मान्यता/12-13 476 दिनांक 27-12-12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग शासन राधेवालय, जयपुर
- 2 निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- 3 शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
- 4 संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
- 5 सचिव,
- 6 रक्षित पत्रावली।

Handwritten Signature
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिक्षा/मा/माध्यमिक B/31-2/कैमाशिको/2013-14

दिनांक 05-07-2013

सचिव,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक केंद्र,

प्रीत विहार, दिल्ली-1100092

विषय :- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प 14(8) शिक्षा-1/2009 पार्ट-II जयपुर दिनांक 05.07.2013 की पालना में निम्नांकित विद्यालयों को उनके नाम के समुख सत्र एवं माध्यम के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना को जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं निभाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है व परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी :-

क्र.स.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता	सत्र	माध्यम
1	सेन्ट एन्सलम्स स्कूल, तजा का वास फुलरा जयपुर	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
2	शाह सतनाम जी गुरु स्कूल तारानगर (गुरु)	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
3	फ्लोरिडन उप्रादि, मुन्डेर, झालावाड़	CBSE	2013-14	अंग्रेजी
4	एन0बी0एफ0 पब्लिक स्कूल, गणेश नगर, निवारु रोड, झोटावाड़ा, जयपुर	CBSE	2013-14	अंग्रेजी

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशेष सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, सचिवालय जयपुर।
4. उपशासन सचिव-प्रथम शिक्षा (गुप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
7. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय), जयपुर/दूरी/झालावाड़
8. संबंधित विद्यालय

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर